न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बइ,जलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.85/2015

वादी
दलपतसिंह पुत्र भवानीसिंहजी
आयु 50 वष, जाति राजपूत पेशा
खेती निवासी सिन्दरथ तहसील
व जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादीगण
1– विसनसिंह पुत्र भवानीसिंह जी
2– सज्जनकुंवर पत्नि भवानीसिंहजी
3– जोगसिंह पुत्र बलवन्तसिंहजी
4– हुकमकुंवर पत्नि बलवन्तसिंहजी
सभी आयु वयस्क पेशा खेती निवासी
सिन्दरथ तहसील व जि. सिरोही
5– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
सिरोही

उपस्थित :–
1– वादी की ओर से विद्वान वकील श्री नरपतसिंह देवडा
2– प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से विद्वान वकील श्री राजेन्द, शर्मा,
3– प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार

राजस्व वाद अ.धा. 53 राज.काश्त.अधिनियम 1955 के तहत
वास्ते कृषि भूमि का विभाजन करने

निर्णय

दिनांक 30–7–2019

वादी ने जरिये वकील यह राजस्व वाद अन्त,गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वास्ते कृषि भूमि का विभाजन करने बाबत विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तक का इस न्यायालय मे दिनांक 28–8–2015 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि वादी ने अपने उक्त वाद पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि मौजा सिन्दरथ तहसील सिरोही मे खसरा नंबर 134 ,135 ,142 ,143 ,144 ,146 ,147 ,148 ,149 ,282 ,708 ,723 ,724 ,725 ,726 ,727 ,728 ,729 ,730 कुल किता 19 क्षैत्रफल 14.8600 हैक्टेयर मय कुंआ आया हुआ है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार पक्षकारान सहखातेदारान है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का 1/2 खातेदारी हक हिस्सा है एवं शेष 1/2 प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 का खातेदारी हक हिस्सा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि मे कुंआ स्थित है तथा उस पर सिंचाई हेतु बिजली की मोटर लगी हुई है। उक्त कुंआ व विधुत मोटर व कनेक्शन भी सभी खातेदारान के मालकी स्वामित्व व सामलाती है और उसका उपयोग व उपभोग करते है और कुऐ से सिंचाई व खेती करते है। खसरा संख्या 134 मे भी कुंआ स्थित है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने खुदवाया है व विधुत कनेक्शन लिया है। खसरा संख्या 134 मे स्थित कुंआ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के मालकी स्वामित्व एवं कब्जे का है जिसमे प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का कोई हक अधिकार नही है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खातेदारान के मध्य पूर्व से अपने अपने राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार विभाजित की हुई है और अपने अपने हक हिस्से पर वादी व प्रतिवादीगण अलग अलग काबिज है और काश्त करते आ रहे है। वर्तमान मे कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड मे संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने व पक्षकारान के मध्य मौके पर काबिज हिस्सा कम ज्यादा होने को लेकर संचय उत्पन्न होने से प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 पिछले 5–6 महिने से वादी

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

Continue Page No 2

के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी पैदा कर रहे है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 के विधि विरूद्व कृत्य से वादी का काश्त करना संभव नही है जिससे वादी अपने खातेदारी हक हिस्से को प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 से पृथक करवाना चाहता है। जिस हेतु यह विभाजन का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का 1/2 खातेदारी हक हिस्सा है तथा उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड, मे पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने व पक्षकारान सहखातेदार होने के कथन पर आधारित है। यह वाद प्रस्तुती का कारण प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा वादी के कब्जे काश्त मे पिछले 5 व 6 माह से दखलंदाजी देने से पैदा हुआ है। अतः वादी का यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न डिकी पारित कराना फरमावें :–

1–वर्णित कृषि भूमि मय कुंआ का विभाजन मिटस एण्ड बाउण्डस से रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार किये जाने की डिकी

2– खसरा नंबर 134 मे स्थित कुंआ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के स्वामित्व का होने की डिकी

3– सामलाती कुंऐ से सिंचाई हेतु पानी लेने की ढींची तय करने की डिकी

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व संलग्न फाम, नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 339 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने पर वादपत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 28–8–2015 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जवाबदावा पेश करने हेतु सम्मन जारी किये गये ,जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को सम्मन तामिल होकर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 29–9–2015 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये । पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के जवाबदावा हेतु दिनांक 20–11–2015 को न्यायालय मे रखी गई ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 29–3–2016 को दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सम्मन तामिली होने के बावजूद तारीख पेशी पर निरन्तर हाजिर नही हो रहे है तथा आज पेशी के दौरान भी हाजिर नही है जिस पर न्यायालय द्वारा प,तिवादी संख्या 1 व 2 को हाजिर होने हेतु न्यायालय द्वारा बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद न्यायालय समय तक स्वंय या इनके वकील कोई भी हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण 1 व 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने के आदेश दिये गये ।वकील प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से जवाबदावा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । उक्त जवाबदावा की प्रति वकील वादी को उपलब्ध कराइ, गई।

वकील प्रतिवादीगण ने अपने उक्त जवाबदावा के माध्यम से यह निवेदन किया कि वादपत्र मे पद संख्या एक मे वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है सिवाय इसके कि दूसरे कुंआ का खसरा नंबर इसमे नही है। वाद पत्र के पद संख्या दो मे वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 3 मे दिये गये तथ्य गलत होने से स्वीकार नही है जहॉ एक और वादी ने यह स्पष्ट नही किया है कि खसरा नंबर 134 के अलावा जो दूसरा कुंआ संयुक्त आराजी मे है वह किस खसरा नंबर मे है वही खसरा नंबर 134 मे स्थित कुंआ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा अपने खर्च पर खुदवाना प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 को स्वीकार नही है। संयुक्त खाते मे होते हुये किस प्रकार से वादी खसरा नंबर 134 मे स्थित कुंआ को अपना निजी स्वामित्व व कब्जे का बताता है। इस कुंआ मे प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 का भी 1/2 आधा हक हिस्सा है। शेष कथ साक्ष्य का विषय है।

Continue page No 3

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

वादपत्र के पद संख्या 4 मे दिये गये तथ्य गलत होने से अस्वीकार है सम्पूर्ण कृषि भूमि आराजी संयुक्त खातेदारी की राजस्व रेकर्ड मे अंकित अनुसार है। किसी प्रकार का कोई विभाजन सहखातेदारो के मध्य नही हुआ है। अतः बंटवाड/विभाजन होना स्वीकार नही है। वादी ने जानबुझकर गुमराह करने हेतु विभाजन का तथ्य अंकित किया है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा दखलंदाजी नही की जा रही है। उल्टा वादी उन्हे संयुक्त अधिकारों से बेदखल करने का प्रयास करते है ताकि उपजाउ भूमि पर व अधिक भाग पर नियंत्रण व कब्जा प्राप्त कर व रख सकें । वादपत्र के पद संख्या 5 मे वर्णित तथ्य इस हद तक स्वीकार है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 का 1/2 आधा हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है किन्तु दखलंदाजी करने का तथ्य स्वीकार नही है। वादी जबरन प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का संयुक्त अधिकारों से वंचित व बेदखल करना चाहता है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा के अन्त मे दादरसी के सम्बन्ध मे यह कथन किया कि वादी ने खसरा नंबर 134 के सम्बन्ध मे जो भी दादरसी की मांग की है वह उसे पाने का अधिकारी नही है क्योंकि इस खसरा नंबर मे कुंआ मे भी प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 का 1/2 हिस्सा है। समस्त खसरा नंबरों की भूमि मय कुंआ खसरा नंबर 134 व अन्य कुंआ के समउपयोगिता एवं उपजाउता के हिसाब से सही ढंग से मिटस एण्ड बाउण्डस से यदि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का राजस्व रिकाड, मे दर्ज हिस्सा (आधा हिस्सा) अनुसार बंटवाड करके प्रथम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर दिया जावे तो प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को भी आपत्ति नही है। कार्य व्यय प,तिवादी संख्या 3 व 3 से वादी प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12–12–2016 को वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर निम्नांकित तनकीयायत कायम की गइ, :–

1– आया वादग्रस्त कृषि भूमि मय कुंआ का विभाजन मिटस एण्ड बाउण्ड से रेकड, मे दर्ज, हिस्से अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करवाने का वादीगण अधिकारी है?

———— जिम्मे वादीगण

2–वादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी के खाते मे होते हुये किस प्रकार से वादी खसरा नंबर 134 मे स्थित कुंआ को अपना निजी स्वामित्व व कब्जे का बताता है?

————जिम्मे प्रति.सं. 3 व 4

3–अनुतोष

विचारण प्रकरण की पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 31–1–2017 को न्यायालय मे रखी गई जिस पर साक्ष्य वादी मे दलपतसिंह ने अपना शपथपत्र वकील वादी के माध्यम से पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । दिनांक 7–4–2017 को न्यायालय मे उक्त साक्ष्य वादी के शपथपत्र पर वकील प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 द्वारा जिरह करने के बाद शामिल मिसल किया गया ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 10–11–2017को दोराने सुनवाई वकील वादीगण को साक्ष्य वादी हेतु न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बावजूद साक्ष्य वादी नही कराने से वकील वादी की सहमति से न्यायालय द्वारा साक्ष्य वादी बंद की गई । पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु न्यायालय मे दिनांक 9–3–2018 को रखी गई जिस पर साक्ष्य प्रतिवादी मे श्री जोगसिंह ने अपना शपथपत्र वकील प्रतिवादीगण के माध्यम से पेश किया उक्त शपथपत्र पर वकील वादीगण द्वारा जिरह करने के बाद शामिल मिसल किया गया । वकील प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी आगे नही कराने का निवेदन करने से साक्ष्य प्रतिवादी न्यायालय द्वारा बंद की गई ।

विचारण प्रकरण की यह पत्रावली विचाराधीन राजस्व वाद अ.धा.53 आर.टी.एक्ट पर वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 तथा प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट तहसीलदार,सिरोही की अंतिम बहस हेतु दिनांक 30–7–2019 को रखी गई जिस पर

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

Continue Page No 4

वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 तथा प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से तहसीलदार ,सिरोही ने हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गइ, ।

वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने दौराने अतिम बहस न्यायालय मे निवेदन किया कि वादग्रस्त की कृषि भूमि की वर्तमान जमाबंदी मे खातेदारान के दर्ज हक हिस्से अनुसार व मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर कृषि भूमि का विभाजन मौके पर कब्जे व दो कुओं की स्थिति को ध्यान मे रखते हुये ख़ातेदारो की उपस्थिति मे उनकी सहमति अनुसार वादग,स्त कृषि आराजी का विभाजन कराकर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार ,सिरोही से मंगाये जावें । प्रतिवादीगण संख्या 5 स्टेट की ओर से तहसीलदार ,सिरोही ने दौराने बहस कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि खातेदारो की निजी है उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का वकील पक्षकारान की उक्तानुसार सहमति के आधार पर विभाजन किया जाता है तो उससे किसी प्रकार की राजस्व हानि या राजहित प्रभावित नही होगा ।

अतः उपरोक्त सभी के आधार पर वकील उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत विचारण यह वाद अन्त,गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत वास्ते कृषि भूमि का विभाजन कराने का विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 तक का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि मौजा सिन्दरथ तहसील सिरोही मे खसरा नंबर 134 ,135 ,142 ,143 ,144 ,146 ,147 ,148 ,149 ,282 ,708 ,723 ,724 ,725 ,726 ,727 ,728 ,729 ,730 कुल किता 19 क्षैत्रफल 14.8600 हैक्टेयर मय कुंआ आया हुआ है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी मे दज, है। इस प्रकार पक्षकारान सहखातेदारान है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान जमाबंदी मे खातेदारान के दर्ज हक हिस्से अनुसार व मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर कृषि भूमि का विभाजन मौके पर कब्जे व दो कुओं की स्थिति को ध्यान मे रखते हुये खातेदारो की उपस्थिति मे उनकी सहमति अनुसार वादग,स्त कृषि आराजी का विभाजन कराकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों मे तैयार करवाकर एक माह मे इस न्यायालय मे आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । तदनुसार प्राथमिक डिकी जारी हो । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30–7–2019 को मेरे हस्ताक्षर व पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
सिरोही (राज०)

डिगरी व मुकदमें ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)

सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी), सिरोही

बईजलास हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 85 / 2015

वादी
दलपतसिंह पुत्र भवानीसिंहजी
आयु 50 वष, जाति राजपूत पेशा
खेती निवासी सिन्दरथ तहसील
व जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादीगण
1– विसनसिंह पुत्र भवानीसिंह जी
2– सज्जनकुंवर पत्नि भवानीसिंहजी
3– जोगसिंह पुत्र बलवन्तसिंहजी
4– हुकमकुंवर पत्नि बलवन्तसिंहजी
सभी आयु व्यस्क पेशा खेती निवासी
सिन्दरथ तहसील व जि. सिरोही
5– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
सिरोही

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा188-53 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत

यह मुकदमा आज रूबरू सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही उपस्थित वादी वकील श्री नरपतसिंह देवडा उपस्थित हुये तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र शर्मा एवं प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही उपस्थित हुये । विचारण वाद प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 29–3–2016 को पारित किये जाने से अनुपस्थित है।वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने दौराने अतिम बहस न्यायालय मे निवेदन किया कि वादग्रस्त की कृषि भूमि की वर्तमान जमाबंदी मे खातेदारान के दर्ज हक हिस्से अनुसार व मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर कृषि भूमि का विभाजन मौके पर कब्जे व दो कुओं की स्थिति को ध्यान मे रखते हुये खातेदारो की उपस्थिति मे वादग्रस्त कृषि आराजी का विभाजन कराकर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार ,सिरोही से मंगाये जावें । प्रतिवादीगण संख्या 5 स्टेट की ओर से तहसीलदार ,सिरोही ने दौराने बहस कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि खातेदारो की निजी है उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का वकील पक्षकारान की उक्तानुसार सहमति के आधार पर विभाजन किया जाता है तो उससे किसी प्रकार की राजस्व हानि या राजहित प्रभावित नही होगा ।

अतः उपरोक्त सभी के आधार पर वकील उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत विचारण यह वाद अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत वास्ते कृषि भूमि का विभाजन कराने का विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 तक का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि मौजा सिन्दरथ तहसील सिरोही मे खसरा नंबर 134 ,135 ,142 ,143 ,144 ,146 ,147 ,148 ,149 ,282 ,708 ,723 ,724 ,725 ,726 ,727 ,728 ,729 ,730 कुल किता 19 क्षैत्रफल 14.8600 हैक्टेयर मय कुंआ आया हुआ है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड, जमाबंदी मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार पक्षकारान सहखातेदार है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान जमाबंदी मे खातेदारान के दर्ज हक हिस्से अनुसार व मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर कृषि भूमि का विभाजन मौके पर कब्जे व दो कुओं की स्थिति को ध्यान मे रखते हुये खातेदारो की उपस्थिति मे वादग्रस्त कृषि आराजी का विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों मे तैयार करवाकर एक माह मे इस न्यायालय मे आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

Continue Page No 2

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 30–7–2019 मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी की गई ।

मुद्दाई	रू	पैसे
स्टॉम्प अरजी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत		
खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		
मुतफरीक		
बाबत इजराय हुक्मनामा		
मौजान		

मुद्दायलाह	रू	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अरजी		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		
मुतफरीक		
मौजान		

सहायक कलेक्टर(एसडीओ)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)